

# Gazette Notification 3.12.2010

म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, भोपाल  
पंचम तल, विट्ठन मार्केट, भोपाल – 462 016

भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर, 2010

क्रमांक 3120/मप्रविनिआ/2010, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181(2)(एच) एवं 181(2) (जेडडी) सहपठित धारा 36 एवं 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद् द्वारा "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तों) विनियम, 2009 जो दिनांक 8 मई, 2009 को अधिसूचित किया गया था, में निम्न संशोधन करता है :

## मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तों) विनियम, 2009 में द्वितीय संशोधन

### 1. प्रस्तावना :

भारतीय रिजर्व बैंक ने "प्रधान ऋण प्रदाय दर (Prime Lending Rate)" प्रणाली के स्थान पर "आधार दर (Base Rate)" प्रणाली लागू किये जाने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किये हैं । अतएव नवीन प्रणाली से संरेखित, वर्तमान विनियमों को संशोधित किया जाना आवश्यक हो गया है ।

2. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ : 2.1 ये विनियम "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तों) विनियम, 2009 (द्वितीय संशोधन) [ARG-28 (I) (ii), वर्ष 2010]" कहलायेंगे ।

2.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य में समस्त वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को उनके तत्संबंधी अनुज्ञप्ति-प्राप्त क्षेत्रों में प्रयोज्य होंगे ।

2.3 ये विनियम मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की तिथि से प्रभावशील होंगे ।

### 3. विनियमों 8, 13, 15 तथा 28 में संशोधन :

"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तों) विनियम, 2009" की कण्डिकाओं 8.4, 13.1, 15.2 तथा 28.1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

#### (अ) 8. टैरिफ अवधारण तथा उसके सत्यापन की रीति :

"8.4 यदि अद्यतन रूप से वसूल किये गये टैरिफ की राशि सत्यापन उपरान्त किये गये अवधारित टैरिफ से अधिक हो तो ऐसी दशा में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दीर्घ-अवधि पारेषण हितग्राहियों को अधिक वसूल की गई राशि को उक्त वर्ष हेतु दिनांक 1 अप्रैल को लागू भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर में 4 प्रतिशत जोड़कर के बराबर साधारण ब्याज दर पर प्रत्यर्पण (Refund) किया जाएगा । इसी प्रकार, ऐसे प्रकरण में जहां वसूल किया गया टैरिफ सत्यापन उपरान्त अवधारित टैरिफ राशि से कम हो तो ऐसी दशा में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी दीर्घ-अवधि पारेषण हितग्राहियों से कम वसूल की गई राशि की वसूली तत्संबंधी वर्ष हेतु दिनांक 1 अप्रैल को लागू भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर में चार प्रतिशत जोड़कर साधारण ब्याज के

साथ करेगा जो कि आयोग द्वारा सत्यापन याचिका दायर किये जाने संबंधी विनिर्दिष्ट की गई समय-सीमा का अनुसरण किये जाने के अध्यक्षीन होगा । ऐसे प्रकरण में, जहां यह पाया गया हो कि सत्यापन याचिका का दायर किया जाना पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किये गये विलंब के कारण है तो कम की गई वसूली राशि पर ब्याज देय न होगा ।”

**(ब) 13. अनुमोदित राशि से की गई अधिक वसूली की वापसी :**

“13.1 किसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को, जिसे हितग्राहियों से आयोग द्वारा अनुमोदित से अधिक टैरिफ प्रभारित करते हुए पाया जाएगा, के संबंध में यह माना जाएगा कि उसके द्वारा आयोग के आदेशों का परिपालन नहीं किया गया है तथा उसे अधिनियम की धारा 142 के अन्तर्गत तथा अधिनियम के अन्य उपबंधों के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय अन्य किसी दायित्व, बिना किसी पक्षपात के, दण्डित किये जाने की पात्रता होगी । ऐसे प्रकरण में जहां वसूल की गई राशि, आयोग द्वारा अनुज्ञेय की गई राशि से अधिक हो तो इस प्रकार अधिक वसूल की गई राशि को हितग्राहियों को, जिनके द्वारा अधिक राशि का भुगतान किया गया है, उक्त वर्ष हेतु दिनांक 1 अप्रैल को लागू भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर (Base Rate) में 4 प्रतिशत जोड़कर के बराबर, मय उक्त अवधि के साधारण ब्याज के साथ तथा आयोग द्वारा अधिरोपित शास्ति (penalty) के, प्रत्यर्पण (refund) की जाएगी ।”

**(स) 15. टैरिफ अवधारण संबंधी याचिका :**

“15.2 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हितग्राहियों अथवा दीर्घ-अवधि क्रेताओं को दिनांक 1.4.2009 से प्रारम्भ होने वाली अवधि से प्रावधिक तौर पर दिनांक 31.3.2009 को प्रयोज्य दर पर देयक प्रस्तुत किया जाना जारी रखेगा । जब तक कि आयोग द्वारा इन विनियमों के अनुसार टैरिफ का अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है :

बशर्ते यह कि जहां प्रावधिक रूप से बिल की गई विद्युत दर (टैरिफ) आयोग द्वारा इन विनियमों के अन्तर्गत अनुमोदित अन्तिम विद्युत दर से अधिक हो अथवा कम हो, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हितग्राहियों अथवा पारेषण क्रेताओं से, जैसा कि प्रकरण में लागू हो, इस राशि का प्रत्यर्पण अथवा वसूली भारतीय स्टेट बैंक की उक्त वर्ष हेतु 1 अप्रैल को लागू आधार दर (Base Rate) में 4 प्रतिशत जोड़कर, की समतुल्य दर पर, मय साधारण ब्याज जोड़कर इन विनियमों के अंतर्गत अंतिम विद्युत दर (टैरिफ) की अवधारण तिथि से छः माह के अंदर करेगा ।”

**(द) 28. कार्यकारी पूंजी पर देय ब्याज प्रभार (Interest Charges on Working Capital) :**

“28.1 कार्यकारी पूंजी पर ब्याज दर जिसकी गणना विनियमों में आगे दर्शाई गई विधि द्वारा की जाना है, मानकीकृत आधार पर की जाएगी तथा इसकी गणना भारतीय स्टेट बैंक की उक्त वर्ष की 1 अप्रैल को प्रयोज्य आधार दर (Base Rate) में 4 प्रतिशत जोड़कर की समतुल्य दर पर की जाएगी । कार्यकारी पूंजी पर ब्याज मानकीकृत आधार पर देय होगा, भले ही अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी बाह्य संस्था से ऋण न भी लिया गया हो अथवा कार्यकारी पूंजीगत ऋण की तुलना में मानकीकृत आधार पर वांछित राशि से अधिक हो गया हो ।”

आयोग के आदेशानुसार  
पी.के. चतुर्वेदी, आयोग सचिव